वित्त लेखे

(खण्ड - 1)

2013–14

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

	विषय		पृष्ठ
	खण्ड 1		
●	विषय-सूची		(i) - (ii)
●	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	...	(iii) - (iv)
●	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	...	(v) - (ix)
1	: वित्तीय स्थिति का विवरण	...	1 - 2
2	: प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण	...	3 - 6
3	: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	...	7 - 11
4	: व्यय का विवरण (समेकित निधि)	...	12 - 17
	● कार्यात्मक एवं प्रकृति अनुसार		
●	लेखे पर टिप्पणियाँ	...	18 - 26
●	परिशिष्ट I :		
●	परिशिष्ट I-क – महालेखाकार द्वारा किए गए आवधिक समायोजन एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए अन्य समायोजन को इंगित करने वाला विवरण	...	27 -29
●	परिशिष्ट I-ख – राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण कार्य	...	30 - 31
●	परिशिष्ट I-ग – पूंजी अनुभाग के अन्तर्गत सहायक अनुदान	...	32
●	परिशिष्ट I-घ – 800 ''अन्य व्यय'' के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियाँ का विस्तृत विवरण	...	33
	खण्ड 2		
	भाग I		
5	: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	...	34 - 38
6	: उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण	...	39 - 42
7	: सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियाँ का विवरण	...	43 - 51
8	: सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदान का विवरण	...	52 - 53
9	: सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण	...	54 - 55
10	: दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	...	56 - 58
	भाग II		
11	: लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	...	59 - 95
12	: लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	...	96 - 159
13	: लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	...	160 - 241
14	: सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	...	242 - 282

	विषय		पृष्ठ
15 :	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	...	283 - 298
16 :	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण	...	299 - 321
17 :	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण	...	322 - 325
18 :	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेनदेनों का विस्तृत विवरण	...	326 - 337
19 :	निवेश पर कर्णांकित शेषों का विस्तृत विवरण	...	338

भाग III : परिशिष्ट

II :	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	...	339- 349
III :	सबसिडी पर तुलनात्मक व्यय	...	350 - 364
IV :	सहायक अनुदान/राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता (योजनावार और संस्थावार)	...	365 - 388
V :	बाह्य सम्पोषित परियोजनाएं	...	389
VI :	योजनागत योजना व्यय (केन्द्रीय एवं राज्य की योजनागत योजना)	...	390 - 403
VII :	राज्य के क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को भारत सरकार से निधियों का सीधा अन्तरण	...	404 - 407
VIII :	शेषों का सारांश	...	408 - 415
IX :	सिंचाई निर्माण कार्यों/विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम	...	416
X :	31 मार्च 2014 तक अधुरे लोक निर्माण कार्य अनुबन्धों पर वचनबद्धता का विवरण	...	417- 460
XI :	वर्ष 2013-14 के दौरान पृथक किये गये वेतन एवं गैर-वेतन मद के साथ अनुरक्षण व्यय	...	461 - 465
XII :	वर्ष के दौरान सरकार के नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन अथवा भविष्य के रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित योजनाएं	...	466 - 467
XIII :	सरकार के वचनबद्ध देयताएँ	...	468
XIV :	राज्य का पुर्नगठन-वैसे मदों जिनके शेषों का बंटवारा राज्यों के बीच/मध्य नहीं हुआ है	...	469 - 474

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। खंड I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के साथ पठित बिहार पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें झारखण्ड सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों (8(ii), 9,14,15 (ख)(i) तथा 15 (ग)(i)), व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरण संख्या 5 का 6 (क) तथा 6 (ख) और विवरण संख्या 11 का व्याख्यात्मक टिप्पणी (III)) और परिशिष्टों (vi, ix (i), ix (ii), x तथा xi) को झारखण्ड सरकार/निगमों/कम्पनियों/सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक ''लेखाओं के लिए टिप्पणियों'' के साथ पठित वित्त लेखे 2013-14 वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्‌भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली झारखण्ड सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

दिनांक :
नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विहंगावलोकन

1. **झारखंड राज्य** के वित्त लेखे, वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा, राजस्व तथा पूँजी लेखे पर आधारित वित्तीय परिणामों के साथ, लोक ऋण एवं दायित्वों तथा परिसम्पत्तियों का लेखा जैसा कि लेखे में दर्ज शेषों से निकाला गया, को प्रस्तुत करता है।

2. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

भाग I : समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उगाहे गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड्स, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई सभी राशियाँ सम्मिलित हैं। विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए एवं भारत के संविधान में बताए गए तरीकों को छोड़कर इस निधि से किसी भी राशि का विनियोग नहीं किया जा सकता है। निर्दिष्ट वर्गों के व्यय (उदाहरणस्वरूप संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभार स्वरूप होते हैं (प्रभारित व्यय) जिस पर विधायिका के मत की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधायिका के द्वारा मत प्राप्त हैं।

समेकित निधि में दो अनुभाग समाविष्ट हैं : राजस्व तथा पूँजी (लोक ऋण, कर्ज एवं अग्रिम सहित)। इन्हें पुनः 'प्राप्तियाँ' तथा 'व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन खंडों में विभाजित किया गया, जैसे 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान'। इन तीन खंडों को पुनः 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवाएँ' इत्यादि जैसे उपखंडों में विभाजित किया गया है। पूँजी प्राप्तियाँ अनुभाग किसी खंड या उप-खंड में विभाजित नहीं है। राजस्व व्यय अनुभाग को चार खंडों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ' एवं 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में विभाजित किया गया है। राजस्व व्यय अनुभाग के इन खंडों को पुनः 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' इत्यादि जैसे उप खंडों में विभाजित किया गया है। पूँजी व्यय अनुभाग को आठ खंडों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ', 'सहायता अनुदान तथा अंशदान', 'लोक ऋण', 'उधार तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय परिशोधन' एवं 'आकस्मिकता निधि को अंतरण' में उप विभाजित किया गया है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : विधायिका, विधिसम्मत एक आकस्मिकता निधि, जो कि अग्रदाय प्रकृति की है, की स्थापना कर इसे राज्यपाल के अधीन निष्पादन हेतु इस अधिकार के साथ रखा जाता है कि वे वैसे आकस्मिक व्यय से निपटने हेतु अग्रिम प्रदान कर सकें, जिस व्यय को राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिकृत किया जाना लम्बित है। राज्य के समेकित निधि के संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे द्वारा इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। 2013-14 के लिए झारखण्ड सरकार के आकस्मिकता निधि ₹ 150.00 करोड़ की है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार के द्वारा या सरकार की तरफ से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन, जिसके लिए सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा के रूप में दर्ज किया जाता है। लोक लेखे में वापसियों जैसे लघु बचत तथा भविष्य निधि, जमा (ब्याजदेय तथा अब्याजदेय), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याजदेय तथा अब्याजदेय), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (इनमें से दोनों ट्रॉंजिट शीर्ष, अंतिम रूप से दर्ज होने तक) सम्मिलित है। सरकार को उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखे के अंतर्गत शामिल है। लोक लेखे में छह खंड, जैसे 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधियाँ', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' एवं 'रोकड़ शेष' होते हैं। इन खंडों को पुनः उप-खंडों मे विभाजित किया गया है। लोक लेखा, विधायिका के मतों के अधीन नहीं होता है।

3. सरकारी लेखे एक छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे मुख्य शीर्ष (चार अंकों का), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंकों का), लघु शीर्ष (तीन अंकों का), उप शीर्ष (दो अंकों का), विस्तृत शीर्ष (दो अंकों का) तथा वस्तु शीर्ष (दो अंकों का)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य प्रकृति को, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य प्रकृति को, लघु शीर्ष कार्यक्रम/गतिविधियों को, उप शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को तथा वस्तु शीर्ष उद्देश्यों / व्यय की वस्तु इकाई को प्रस्तुत करता है।

4. लेखा मे वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष होते हैं जो नीचे दिए गए कोडिंग पैटर्न के अनुसार हैं (31 मार्च 2014 तक संशोधित मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के अनुसार)

0020 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ

4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, कर्ज एवं अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. सामान्यत: वित्त लेखे (कुछ मामलों को छोड़ कर), लघु शीर्ष तक के लेनदेनों को दर्शाता है। वित्त लेखे निवल स्तर पर आकड़ों को दर्शाता है, उदाहरण स्वरूप वापसियों को व्यय से घटाकर लेखाकरण किया जाता है। विनियोग लेखे तथा विधायिका को प्रस्तुत किए जाने वाले अनुदानों के लिए माँग, जहाँ व्यय को सकल स्तर पर दर्शाया जाता है से भिन्न रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

6. सरकारी लेखे की संरचना का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है।

सरकारी लेखे की संरचना

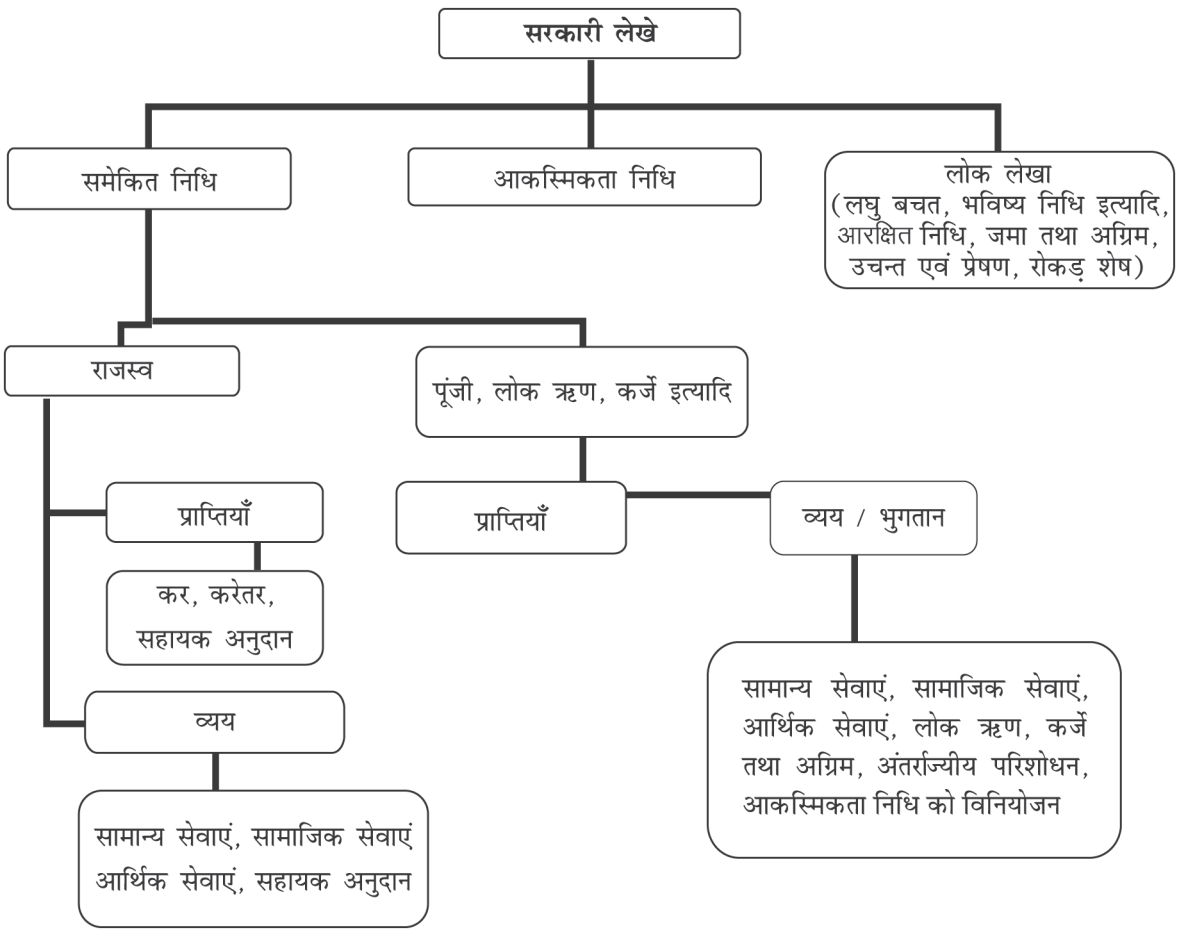

ख. वित्त लेखे में क्या अन्तर्विष्ट है

वित्त लेखे को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है।

खण्ड 1 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 4 विवरणी जो राज्य सरकार के चालु वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति तथा लेनदेनों का संक्षिप्त ब्यौरा, लेखे पर टिप्पणियाँ एवं लेखे पर टिप्पणियाँ का एक परिशिष्ट दर्शाया जाता है। **खण्ड 1** के **चार** विवरणों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण :** राज्य सरकार के परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की समेकित आंकड़े, जैसा कि वर्ष के अन्त में था, तथा विगत वर्ष के अन्त की स्थिति के साथ तुलनात्मक रूप में इस विवरण में दर्शाया जाता है।

2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण:** इस विवरण में, तीनों भागों यथानामित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत जिसमें की सरकारी लेखे रखे जाते हैं, वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इस विवरण में एक परिशिष्ट जो कि सरकार के लेखा शेषों (निवेश सहित) को दर्शाता है, सम्मिलित है। यह परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय स्थिति को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राज्य सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों (विनिवेश, उधार तथा कर्ज एवं अग्रिम की वापसी सहित) को दर्शाता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड-2 में विस्तृत विवरण सं. 11, 15 तथा 16 के सदृश है।

4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे के सामान्यत: लघु शीर्ष स्तर तक के प्रस्तुतीकरण से भिन्न इस विवरण में व्यय की प्रकृति तथा गतिविधि (व्यय का उद्देश्य) का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। यह विवरण खण्ड 2 के विवरण सं. 12, 13, 15 एवं 16 के सदृश है।

वित्त लेखे के खण्ड 2 में तीन भाग समाहित है - **भाग I में छह संक्षिप्त विवरणी, भाग II में नौ विस्तृत विवरणी तथा भाग III में तेरह परिशिष्ट हैं।**

खण्ड 2 का भाग I

5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण भाग II के विस्तृत विवरण संख्या 13 के सदृश है।

6. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार के उधार में, सरकार द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे (आन्तरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त 'कर्जे तथा अग्रिम' शामिल हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि', 'आरक्षित निधियाँ' तथा 'जमा' सम्मिलित हैं। इस विवरण में उधार-शोधन पर एक टिप्पणी सम्मिलित है तथा यह भाग II के विस्तृत विवरण सं. 15 के सदृश है।

7. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियाँ का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे कि सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायतशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकारों एवं व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवकों सहित) को दिए गए सभी उधार तथा अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण भाग II के विस्तृत विवरण सं. 16 के सदृश है।

8. **सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदान-प्राप्तकर्ताओं जैसे कि सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायतशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकारों एवं व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट IV, प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराता है।

9. **सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गए ऋणों के लिए मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दिए गए गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करता है।

10. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरण, वित्त लेखे में दर्शाए गए निवल आँकड़ों को, विनियोग लेखे में दर्शाए गए सकल आँकड़ों के साथ होने वाले अनुरूपता के लिए सहायता करता है।

खण्ड 2 भाग II

11. **लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे के खंड 1 में संक्षिप्त विवरण सं. 3 के सदृश है।

12. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो कि खंड 1 के संक्षिप्त विवरण सं. 4 के सदृश है, राज्य सरकार के योजनागत (राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं) तथा गैर-योजना को दर्शाता है। प्रभारित एवं मतदेय व्ययों को पृथक रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

13. **लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, जो कि इस खंड के भाग I के संक्षिप्त विवरण सं. 5 के सृदश है, योजनागत (राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं) तथा गैर-योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्ययों (वर्ष के दौरान तथा समेकित रूप में) प्रदर्शित करता है। प्रभारित एवं मतदेय व्ययों को पृथक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट योजनाओं के मामले में लघु शीर्ष के स्तर तक के पूँजीगत व्यय को विस्तृत रुप मे प्रस्तुत किए जाने हेतु यह विवरण उपशीर्ष के स्तर तक को दर्शाता है।

14. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी (Equity capital) में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है।

15. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, जो कि इस खण्ड के भाग I के संक्षिप्त विवरण सं. 6 के सदृश है, राज्य सरकार के द्वारा उगाहे गए सभी तरह के ऋणों (बाजार ऋण, बॉन्ड्स, केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऋण, वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम का विस्तृत विवरण दर्शाता है। यह विवरण ऋण से संबंधित सूचनाओं को तीन स्तरों में प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत ऋणों का विस्तृत विवरण (ख) मैचुरिटी प्रोफाइल्स, यथा, विभिन्न वर्षों में प्रत्येक कर्जे के विरूद्ध भुगतेय राशि तथा (ग) बकाया ऋणों का ब्याज दर प्रोफाइल।

16. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, इस खंड के भाग I में संक्षिप्त विवरण सं. 7 के सदृश है।

17. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण :** यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों के द्वारा अदा की जानी चाहिए जबकि वर्ष के पूंजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखे में निवल जमा शेषों, वर्ष के आरंभ में रोकड़ शेष तथा उधार के द्वारा निपटाया जाना चाहिए।

18. **आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेनदेनों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लघुशीर्ष स्तर पर अपरिशोधित राशियों का ब्यौरा, वर्ष के दौरान लोक लेखे के लेनदेनों की समेकित स्थिति, तथा वर्ष के अन्त में बकाया शेषों को दर्शाता है।

19. **निवेश पर कर्णांकित शेषों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधियों (लोक लेखा) से निवेश को दर्शाता है।

खण्ड 2 का भाग 3

भाग 3 में, विभिन्न मदों, वेतन, सबसिडी, सहायक अनुदान, बाह्य पोषित परियोजनाएँ, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में योजनावार व्यय तथा राज्य योजनागत योजनाओं इत्यादि पर 13 परिशिष्ट समाहित है। यह विस्तृत विवरण लेखे के उप शीर्ष स्तर या उससे नीचे (लघु शीर्ष स्तर से नीचे) तक प्रस्तुत किया जाता है जिसके कारण सामान्यत: वित्त लेखे में उसे नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड 1 या 2 में 'सूचकांक' पर दर्शाया जाता है। यह विवरण परिशिष्टों के साथ पठित होने पर राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

ग सुलभ गणक

यह अनुभाग खण्ड 1 में दर्शाए गए संक्षिप्त विवरणों को खण्ड 2 में दर्शाए गए विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों से जोड़ता है। (वैसे परिशिष्ट जिनका सीधा सम्पर्क संक्षिप्त विवरणों से नहीं है, उन्हें नीचे नहीं दर्शाया गया है)

मानक	संक्षिप्त विवरण (खण्ड 1/खंड 2)	विस्तृत विवरण (खण्ड 2)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित)	2, 3	11	
राजस्व व्यय	2, 4	12	II (वेतन) III (सब्सिडी)
सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान	2	8	IV
पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	11	
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4	5, 13, 17	
सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम	1, 2, 7	16	
कर्ज की स्थिति/उधार	1, 2, 6	15	
कम्पनियों/निगमों आदि में सरकार का निवेश		14	
रोकड़	1, 2		VIII
लोक लेखा का शेष तथा उसमें किए गए निवेश	1, 2	18, 19	
गारंटी		9	
योजनाएं			V (बाह्य संपोषित परियोजनाएं) VI, VII

घ. आवधिक समायोजन तथा खाता समायोजनः

लेखे में दर्शाए गए कुछ लेनदेन रोकड़ के वास्तविक गतिविधि को, दर्ज किए जाने के समय सम्मिलित नहीं किया जाता है। इनमें से कुछ लेन देन लेखा प्रेषण इकाईयों (कोषागार, प्रमंडलों इत्यादि) के द्वारा शामिल किया जाता है। उदाहरण स्वरूप लेनदेनों में सम्मिलित सभी प्रकार की कटौतियों का समायोजन (सा.भ.नि., दिए गए अग्रिमों की वापसियाँ इत्यादि) कार्य प्रकृति के मुख्य शीर्षों को नामे (संबंधित विभाग के परिप्रेक्ष्य में) के द्वारा दर्ज कर वेतन से राजस्व/कर्ज/लोक लेखे प्राप्तियों को खाता समायोजन के द्वारा किया जाता है। उसी तरह 'शुन्य' विपत्रों जहाँ, राशियों को समेकित निधि तथा लोक लेखे के बीच स्थानान्तरित किया जाता है, को लेखा प्रेषण इकाईयों के स्तर पर गैर रोकड़ लेनदेनों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार / महालेखाकर (ले. एवं हक.) के द्वारा राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रकृति के आवधिक समायोजनों तथा खाता समायोजनों को क्रियान्वित किया जाता है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट I (खण्ड 1) तथा तत्सम्बन्धी विवरणों के पाद टिप्पणियों में दर्शाया जाता है।

आवधिक समायोजनों तथा खाता समायोजनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

1. लोक लेखे में निधियों का सृजन/निधियों को अंशदान का समायोजन, समेकित निधि को 'नामे', उदाहरण स्वरूप राज्य आपदा मोचन निधि, आरक्षित निधियाँ, सिंकिंग फण्ड इत्यादि के द्वारा किया जाता है।
2. लोक लेखे में जमा शीर्षों का लेखा को जमा, समेकित निधि को नामे के द्वारा किया जाता है।
3. सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) तथा राज्य सरकार सामुहिक बीमा योजना, जहाँ सा.भ.नि. पर ब्याज को मुख्य शीर्ष '2049- ब्याज' को नामे तथा मुख्य शीर्ष '8009- सामान्य भविष्य निधि' को जमा के द्वारा ब्याज का वार्षिक समायोजन किया जाता है।
4. केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुशंसाओं पर आधारित भारत सरकार के योजनाओं के अन्तर्गत कर्ज माफी का समायोजन किया जाता है। उन समायोजनों (जहाँ केन्द्रीय ऋणों को मुख्य शीर्ष 0075- विविध सामान्य सेवाएँ को जमा तथा मुख्य शीर्ष 6004- केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऋण तथा अग्रिम को कोन्ट्रा इन्ट्री के द्वारा बट्टे खाते में डाला जाता है), का प्रभाव राजस्व प्राप्तियों तथा लोक ऋण, दोनों शीर्षों पर पड़ता है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

	परिसम्पतियां [1]	संदर्भ (क्रम संख्या) लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2014 तक
				(करोड़ रुपयों में)	
रोकड़					
(i)	कोषागारों में रोकड़ और स्थानीय प्रेषण				
(ii)	विभागीय शेष		18	14.57	5.33
(iii)	स्थायी अग्रदाय		18	0.11	0.11
(iv)	रोकड़ शेष निवेश		18	7,46.57	8,51.84
(v)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (यदि शेष जमा हो तो घटाव चिन्ह दें।)	परिच्छेद 2 (iii)	18	(-)56.50	4,28.20
(vi)	उद्धिष्ट निधियों के निवेश [2]		19	0.00	0.00
	पूंजीगत व्यय				
(i)	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश		13, 14	1,07.11	1,39.98
(ii)	अन्य पूंजीगत व्यय		13	2,56,42.24	3,03,31.87
(iii)	अन्तर्राज्यीय परिशोधन		...	1,00.00	50.00
	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)		...	0.00	0.00
	कर्ज और पेशगियां	परिच्छेद 3 (v)	7,16	77,47.85	79,46.44
	विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		18	12.72	5.35
	उचंत और विविध शेष [3]	परिच्छेद 3 (vii)	18	0.00	0.00
	प्रेषण शेष	परिच्छेद 3 (vii)	18	4,11.86	2,55.53
	प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य [4]			4,02.32	0.00
	जोड़			**3,51,28.85**	**4,00,14.65**

[1] परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े इकट्ठे हैं। कृपया अनुभाग ''लेखे पर टिप्पणियां'' का नोट 1(ii) भी देखें।

[2] उद्धिष्ट निधियों में से किए गए कम्पनियों आदि के हिस्सा पूंजी में किए गए निवेश को पूंजीगत व्यय में न दर्शा कर ''उद्धिष्ट निधियों से किए गए निवेशों'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

[3] इस विवरणी में लाईन मद ''उचंत एवं विविध शेष'' में ''रोकड़ शेष निवेश लेखा'' को शामिल न कर उसे उपर अलग से दिखाया गया है। यद्यपि यह इसी खण्ड में इन लेखाओं में अन्यत्र शामिल किया गया है।

[4] प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है। दिनांक 31 मार्च 2014 के आँकड़े में ₹ 50.00 करोड़ सम्मिलित हैं जो बिहार राज्य को भुगतान की गई पेंशन की देयता के रूप में अन्तर्राज्यीय परिशोधन से संबंधित है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-क्रमांत

	दायित्व	संदर्भ (क्रम संख्या) लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2014 तक
				(करोड़ रुपयों में)	
उधार (लोक ऋण)					
(i)	आंतरिक ऋण		15	2,52,01.59	2,79,40.17
(ii)	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			0.00	0.00
(क)	योजनेतर कर्ज		15	6.38	4.09
(ख)	राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		15	21,18.16	20,87.85
(ग)	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	परिच्छेद 3 (viii)	15	0.00	0.00
(घ)	केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	परिच्छेद 3 (viii)	15	0.00	0.00
(ड़)	अन्य कर्ज		15	0.00	0.00
(iii)	अन्तर्राज्यीय परिशोधन			0.00	0.00
	आकस्मिकता निधि (स्थाई काया)		18	1,50.00	1,50.00
	लोक लेखा का दायित्व				
(i)	अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि		18	15,49.86	15,58.59
(ii)	जमा	परिच्छेद 3 (vi)	18	56,73.32	54,11.58
(iii)	आरक्षित निधियां	परिच्छेद 3 (vi)	18	3,19.67	5,91.56
(iv)	प्रेषण शेष			0.00	0.00
(v)	उचंत और विविध शेष	परिच्छेद 3 (vii)	18	1,09.87	1,17.72
	व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य [4]			0.00	21,53.09
	जोड़			**3,51,28.85**	**4,00,14.65**

[4] प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है। दिनांक 31 मार्च 2014 के आँकड़े में ₹ 50.00 करोड़ सम्मिलित हैं जो बिहार राज्य को भुगतान की गई पेंशन की देयता के रूप में अन्तर्राज्यीय परिशोधन से संबंधित है।

2. प्राप्तियां एवं संवितरण का विवरण

प्राप्तियां			संवितरण		
	2013-14	2012-13		2013-14	2012-13
			भाग-1 समेकित निधि		
			अनुभाग - अ : राजस्व		
	(करोड़ रूपयों में)			*(करोड़ रुपयों में)*	
राजस्व प्राप्तियां			**राजस्व व्यय**		
राज्य का निजी राजस्व	1,31,32.50	1,17,59.21			
(i) कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया)	**93,79.79**	**82,23.58**	वेतन[1]	69,34.16	64,46.02
(ii) करेतर राजस्व			सहायक अनुदान[2]	61,73.18	64,97.81
			सब्सिडी	1,87.40	2,69.62
ब्याज प्राप्तियां	69.48	72.23	**सामान्य सेवाएं**		
अन्य	36,83.23	34,63.40	ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	26,14.43	23,91.25
			पेंशन	34,84.31	29,31.19
			अन्य	8,84.43	7,14.81
कुल (ii) करेतर राजस्व	**37,52.71**	**35,35.63**	**कुल- सामान्य सेवाएं**	**69,83.17**	**60,37.25**
			सामाजिक सेवाएं	20,73.06	25,92.16
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	89,39.32	81,88.14	**आर्थिक सेवाएं**	11,20.92	15,57.01
केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान	40,64.98	48,22.21	**स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन**	0.00	0.00
कुल राजस्व प्राप्तियां	**2,61,36.80**	**2,47,69.56**	**कुल- राजस्व व्यय**	**2,34,71.89**	**2,33,99.87**
राजस्व घाटा	**0.00**	0.00	**राजस्व अधिशेष**	**26,64.91**	**13,69.69**
			अनुभाग - ब : पूंजीगत		
पूंजीगत प्राप्तियां			**पूंजीगत व्यय** [3]		
			सामान्य सेवाएं	1,68.09	1,75.91
			सामाजिक सेवाएं	9,24.12	10,29.78
			आर्थिक सेवाएं [4]	36,30.29	30,12.74
कुल पूंजीगत प्राप्तियां			**कुल पूंजीगत व्यय**	**47,22.50**	**42,18.43**

[1] वेतन, सब्सिडी एवं सहायता अनुदान के आंकड़ों का एक समेकित आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए सभी खण्डों के आंकड़ों को जोड़ दिया गया है। इस विवरणी में ''सामाजिक'' ''सामान्य'' एवं ''आर्थिक'' सेवाओं में दिए गए व्यय के आंकड़ों में वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान की राशि सम्मिलित नहीं है। (पाद टिप्पणी- 2 में स्पष्ट किया गया है)

[2] सरकार द्वारा सहायता अनुदान सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत निकायों, स्थानीय निकायों, आदि को दिए जाते हैं जिन्हें एक लाईन मद में उपर दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति एवं करों, शुल्कों का समनुदेशन से भिन्न है तथा एक अलग लाईन मद ''स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

सहायक अनुदान खर्च में 'मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' के अंतर्गत ₹ 2,73.27 करोड़ वर्ष 2012-13 में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि राज्य के आय-व्ययक में ये खर्च सहायक अनुदान के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं था।

[3] वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए पूंजीगत परिव्यय के अतंर्गत व्यय में 'सहायक अनुदान' के रूप में क्रमशः ₹ 4,52.51 करोड़ एवं ₹ 2,48.67 करोड़ शामिल है। यह सरकार के राजस्व जमा से कम आँका जायगा।

[4] वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अतंर्गत 'वेतन' व्यय के रूप में मुख्य शीर्षों '4515', '5054' एवं '5452' के अन्तर्गत ₹ 43.56 करोड़ तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 'वेतन' व्यय के रूप में मुख्य शीर्षें '4515' एवं '5054' के अधीन ₹ 22.65 करोड़ क्रमशः शामिल है।

2. प्राप्तियां एवं संवितरण का विवरण-क्रमांत

प्राप्तियां			संवितरण		
	2013-14	2012-13		2013-14	2012-13
भाग-1 समेकित निधि					
अनुभाग - अ : राजस्व					
	(करोड़ रूपयों में)			*(करोड़ रुपयों में)*	
कर्जे एवं पेशगियाँ की वापसी	23.32	43.11	**संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ**		
			सामाजिक सेवाएं	20.44	18.50
			आर्थिक सेवाएं	1,88.71	5,63.57
			अन्य	12.76	18.74
कुल कर्जे एवं पेशगियाँ की वापसी	**23.32**	**43.11**	**कुल संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ**	**2,21.91**	**6,00.81**
लोक ऋण प्राप्तियां			**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**		
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियाँ आदि)	45,96.75	49,60.35	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियाँ आदि)	18,58.17	20,44.54
भारत सरकार से कर्ज	1,06.15	2,38.65	भारत सरकार से कर्ज	1,38.75	1,38.52
कुल लोक ऋण प्राप्तियां	**47,02.90**	**51,99.00**	**कुल लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**19,96.92**	**21,83.06**
अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	0.00	0.00	अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	50.00	1,00.00
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	**47,26.22**	**52,42.11**	**कुल पूंजीगत व्यय**	**69,91.33**	**71,02.30**
कुल प्राप्तियां समेकित निधि	**3,08,63.02**	**3,00,11.67**	**कुल व्यय समेकित निधि**	**3,04,63.22**	**3,05,02.17**
समेकित निधि में कमी	**0.00**	**4,90.50**	**समेकित निधि में अधिशेष**	**3,99.80**	**0.00**
भाग- II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	**आकस्मिकता निधि**	0.00	0.00
भाग- III लोक लेखा [5]					
अल्प बचत	7,60.20	6,67.69	**अल्प बचत**	7,51.47	6,45.53
आरक्षित एवं शोधन निधियां	2,93.18	2,79.80	**आरक्षित एवं शोधन निधियां**	21.29	4,03.23
जमा	70,84.37	85,71.31	**जमा**	73,46.12	72,80.77
पेशगियां	1,19.47	1,34.34	**पेशगियां**	1,12.10	1,34.91
उचंत एवं विविध [6]	3,22,02.26	2,03,08.23	**उचंत एवं विविध** [6]	3,22,99.92	2,10,15.08
प्रेषण	60,76.81	46,42.57	**प्रेषण**	59,20.48	47,84.27
कुल प्राप्तियां लोक लेखा	**4,65,36.29**	**3,46,03.94**	**कुल व्यय लोक लेखा**	**4,64,51.38**	**3,42,63.79**
लोक लेखा में कमी			**लोक लेखा में अधिशेष**	**84.91**	**3,40.15**
अथ रोकड़ शेष	**(-)56.50**	**93.85**	**अंत रोकड़ शेष**	**4,28.21**	**(-)56.50**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**4,84.71**	**0.00**	**रोकड़ शेष में कमी**	**0.00**	**1,50.35**

[5] विस्तृत ब्योरे के लिए कृपया खण्ड II में विवरणी 18 देखें।

[6] ''उचंत एवं विविध'' में ''अन्य लेखे'' जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल है। इन अन्य लेखों के आंकड़ों के चलते आंकड़े बहुत बड़ा दिखता है। विस्तृत ब्योरे कृपया विवरणी 18 में देखा जाए।

विवरण संख्या -2 का अनुबन्ध

		31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2014 को
		(करोड़ रूपयों में)	
(क)	**सामान्य रोकड़ शेष-**		
(1)	रिजर्व बैंक के पास जमा [1]	(-)56.50	4,28.20
(2)	रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	7,46.57	8,51.84
	जोड़-(क)	**6,90.07**	**12,80.04**
(ख)	**अन्य रोकड़ शेष और निवेश-(#)**		
(1)	विभागीय अधिकारियों अर्थात् वन और लोक-निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	14.57	5.33
(2)	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम राशियाँ	0.11	0.11
(3)	उद्विष्ट निधियों के निवेश	0.00	0.00
	जोड़-(ख)	**14.68**	**5.44**
	जोड़-(क) और (ख)	**7,04.75**	**12,85.48**

[1] शीर्ष रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत शेष, 16 अप्रैल 2014 तक भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए परामर्श के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबंधित अंतर्शासकीय मौद्रिक समायोजन को लेखे में समाविष्ट करने के पश्चात् ही निकाला जा सकता है।

(#) इस रोकड़ शेष स्थिति में, बैंक खाते में स्थानांतरित अव्ययित शेष शामिल नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :-

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य :** कोषागारों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में जमा एवं पारगमन हेतु प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, ''रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य'' का निर्माण करते है। शीर्ष ''रिजर्व बैंक में जमा'' के अंतर्गत शेष वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे का सम्मिलित शेष बतलाते हैं। सम्पूर्ण रूप से रोकड़ की स्थिति को जानने के लिए, रोकड़ शेषों / आरक्षित निधियों इत्यादि में से कोषागारों, विभागों एवं निवेशों के रोकड़ शेष, को ''भारतीय रिजर्व बैंक में जमा'' के शेष में जोड़ा जाना चाहिए।

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष :** भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक दिन बैंक के पास ₹ 0.45 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि किसी भी दिन रोकड़ शेष इस न्यूनतम राशि से कम पड़ जाता है, तो इस कमी को समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स स्वीकृत करने हेतु दैनिक रोकड़ शेष [2] ज्ञात करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्रों सहित लेन-देनों के रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक के काउन्टरों पर, अन्तर्शासकीय लेन-देन तथा एजेंसी बैंकों के द्वारा रिपोर्ट किए गए कोषागारों के लेन-देन) के साथ उस दिन के लिए मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से ज्ञात किए गए रोकड़ शेष में, 14 दिनों के कोषागार विपत्रों की परिपक्वता, यदि कोई हो, को जोड़ा जाता है और अधिक शेष यदि कोई हो, तो न्युनतम रोकड़ शेष को पूरा करने के बाद, कोषागार विपत्रों में पूर्ननिवेश किया जाता है। जब रोकड़ शेष इस न्यूनतम शेष या जमा शेष से कम पड़ जाता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिनों का कोषागार विपत्र परिपक्व नहीं हो रहा है, तब भारतीय रिजर्व बैंक, धारित 14 दिनों के कोषागार विपत्र पर पुनः छूट देती है, ताकि कमी को पूरा किया जा सके। यदि उस दिन कोई भी धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्र नहीं है, तब राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

विवरण संख्या -2 का अनुबन्ध - क्रमांत

(ग) दिनांक 01-01-2006 से प्रभावी राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 280 करोड़ थी। सरकार की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर उसके बदले विशेष अर्थोपाय अग्रिम दिए जाने पर बैंक ने भी अपनी सहमति दी। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को बैंक द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ जिस सीमा तक न्यूनतम शेष बरकरार रखा, वह नीचे दिया गया है :-

(i)	दिनों की संख्या, जिसमें बिना कोई अग्रिम लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	357
(ii)	दिनों की संख्या, जिसमें साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	8
(iii)	दिनों की संख्या, जिसमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा	शून्य
(iv)	दिनों की संख्या, जिसमें उपरोक्त अग्रिम लेने के बाद भी न्यूनतम शेष से कम था लेकिन कोई ओभरड्राफ्ट् नहीं लिया गया।	शून्य
(v)	दिनों की संख्या, जिसमें ओभरड्राफ्ट लिया गया था।	शून्य

(घ) रोकड़ शेष में से ₹ 8,51.84 करोड़ का निवेश अन्य राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में किया गया। रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेशों पर वर्ष के दौरान ₹ 66.74 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया था।

(च) उद्विष्ट निधियों में से किए गए निवेशों का ब्योरा विवरण संख्या 19 में दिया गया है।

---

[2] उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) 31 मार्च को वर्ष के अंत रोकड़ शेष को दर्शाता है, किन्तु इसे 16 अप्रैल तक निकाला जाता है। जो साधारणत: 31 मार्च का दैनिक शेष नहीं है।

3. प्राप्तियों का विवरण
(समेकित निधि)

	विवरण	वास्तविकी 2013-14	वास्तविकी 2012-13
			(करोड़ रुपयों में)
	I – राजस्व प्राप्तियाँ		
क	**कर राजस्व**		
क 1	**निजी कर राजस्व**		
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	73,05.08	64,21.61
	राज्य उत्पाद शुल्क	6,27.93	5,77.92
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	5,02.61	4,92.40
	वाहन कर	4,94.79	4,65.36
	भू-राजस्व	2,29.84	96.38
	विद्युत कर तथा शुल्क	1,45.79	1,10.72
	आय पर अन्य कर तथा व्यय	49.91	43.49
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	22.76	15.19
	माल तथा यात्री कर	1.08	0.51
क 2	**संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का हिस्सा**		
	निगम कर	30,06.43	29,41.08
	आय पर निगम कर से भिन्न कर	19,79.65	17,60.78
	सीमा शुल्क	14,58.55	13,60.60
	सेवा कर	14,56.29	11,95.96
	संघ उत्पाद शुल्क	10,30.14	9,24.66
	धन कर	8.26	4.97
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.00	0.09
	जोड़ क	**1,83,19.11**	**1,64,11.72**

3. प्राप्तियों का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	वास्तविकी 2013-14	2012-13
		(करोड़ रुपयों में)	
	I – राजस्व प्राप्तियाँ- क्रमशः		
ख	**करेतर राजस्व**		
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	32,30.22	31,42.47
	ब्याज प्राप्तियां	69.48	72.23
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	60.44	14.30
	मुख्य सिंचाई	47.32	18.63
	सड़क तथा सेतु	46.22	42.45
	श्रम तथा रोजगार	42.70	33.96
	मध्यम सिंचाई	39.57	24.65
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	23.91	8.03
	डेरी विकास	20.99	0.06
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	19.86	11.18
	अंशदान तथा लाभांश	18.00	15.00
	जल पूर्ति तथा सफाई	13.80	18.71
	पुलिस	13.77	16.14
	फसल कृषि-कर्म	12.30	2.73
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	12.03	15.13
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	10.75	5.23
	शहरी विकास	9.09	0.00
	लोक सेवा आयोग	7.22	0.98
	जेल	6.99	1.62
	उर्जा	6.26	7.92
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5.24	20.48
	वानिकी तथा वन्य जीवन	5.17	4.22
	सहकारिता	4.58	4.77
	मछली पालन	4.43	4.21
	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.17	12.02
	पशुपालन	4.02	1.86

3. प्राप्तियों का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	वास्तविकी 2013-14	2012-13
		(करोड़ रुपयों में)	
	I – राजस्व प्राप्तियाँ- क्रमांत		
ख	**करेतर राजस्व -क्रमांत**		
	लघु सिंचाई	3.11	2.03
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभों का अंशदान तथा वसूलियां	2.74	3.49
	लोक निर्माण कार्य	2.70	2.65
	पर्यटन	2.58	5.18
	आवास	0.93	0.87
	सिविल पूर्ति	0.66	3.35
	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.59	5.12
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0.23	0.00
	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.18	0.03
	उद्योग	0.12	13.37
	नागर विमानन	0.10	0.04
	सड़क परिवहन	0.10	0.34
	परिवार कल्याण	0.07	0.04
	विविध सामान्य सेवाएं	0.06	0.11
	सूचना तथा प्रचार	0.01	0.01
	आपूर्ति तथा निस्तारण	0.00	0.01
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00	0.01
	जोड़ ख	**37,52.71**	**35,35.63**

3. प्राप्तियों का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

अनुदान		वास्तविक 2013-14	वास्तविक 2012-13
		(करोड़ रुपयों में)	
II – भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			
ग केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान योजनेतर अनुदान			
	संविधान के अन्तर्गत अनुदान (राजस्व आर्डर का वितरण)	0.00	0.00
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	10,19.16	11,57.79
	राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	2,25.26	2,14.53
	राष्ट्रीय बिपत्तियों के कारण आकस्मिक निधि के अन्तर्गत अनुदान	0.00	0.00
	अन्य अनुदान	75.49	1,11.09
राज्य/संघक्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान			
	ब्लॉक अनुदान जिसका (बा॰ सं॰ यो॰ से सहित)	10,98.54	19,53.98
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	2,14.67	1,87.83
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	46.14	30.00
	अन्य अनुदान	2,06.48	2,22.13
केन्द्रीय योजनागतस्कीमों के लिए अनुदान		28.28 (#)	30.81 (क)
केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		11,50.96	9,14.05
विशेष योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		0.00	0.00
जोड़ ग		**40,64.98**	**48,22.21**
जोड़ राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)		**2,61,36.80**	**2,47,69.56**

(#) वर्ष 2013-14 के दौरान कृषि विभाग के बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत गुणात्मक बीज का उत्पादन तथा वितरण से संबंधित 2009-10 के लिए ₹ 5,36.03 लाख का अनुदान वापस की गई।

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान कृषि विभाग के राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापना से संबंधित 2004-05 के लिए ₹ 45.00 लाख की वापसी की गई।

3. प्राप्तियों का विवरण - क्रमांत
(समेकित निधि)

	विवरण		वास्तविक 2013-14	वास्तविक 2012-13
			(करोड़ रुपयों में)	
	III – पूंजी, लोक ऋण एवं प्राप्तियाँ			
घ	**पूंजी प्राप्तियाँ**			
	विनिवेश		0.00	0.00
	अन्य		0.00	0.00
	जोड़ घ		0.00	0.00
ङ	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**			
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
		बाजार कर्ज	29,50.00	36,00.00
		राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	7,50.00	7,50.00
		राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	36.51	1.83
		अन्य संस्थाओं से कर्ज	2,45.04	18.50
		राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2,99.62	2,21.23
		अर्थोपाय पेशगियां	3,15.58	3,68.79
	केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
		योजनेतर कर्ज	0.00	0.00
		राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	1,06.15	2,38.65
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
		केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के जिए कर्ज	0.00	0.00
		अन्य कर्ज	0.00	0.00
	जोड़ ङ		**47,02.90**	**51,99.00**
च	**राज्य सरकार के द्वारा कर्ज तथा अग्रिमों की (वसूलियाँ) [1]**		**23.32**	**43.11**
छ	**अंर्तराज्यीय परिशोधन**		0.00	0.00
	कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)		**3,08,63.02**	**3,00,11.67**

[1] खण्ड-2 के विवरण संख्या 7 एवं विवरण संख्या 16 में विस्तृत विवरण देखें।

4. व्यय का विवरण
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
				(करोड़ रुपयों में)	
	क-कार्यात्मक व्यय				
क	**सामान्य सेवाएँ**				
क 1	**राज्य के अंग**				
	संसद/राज्य/संघ				
	राज्य क्षेत्र विधानमंडल	48.92	0.00	0.00	48.92
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल	6.97	0.00	0.00	6.97
	संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक				
	मंत्री परिषद	3.93	0.00	0.00	3.93
	न्याय प्रशासन	2,24.50	0.00	0.00	2,24.50
	निर्वाचन	39.06	0.00	0.00	39.06
क 2	**राजकोषीय सेवाएँ**				
	भू-राजस्व	1,71.02	0.00	0.00	1,71.02
	स्टाम्प एवं पंजीकरण	18.77	0.00	0.00	18.77
	राज्य उत्पाद शुल्क	14.79	0.00	0.00	14.79
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	50.77	0.00	0.00	50.77
	वाहन कर	5.78	0.00	0.00	5.78
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर	0.70	0.00	0.00	0.70
	अन्य कर तथा शुल्क				
	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	2.25	0.00	0.00	2.25
	ब्याज अदायगियाँ	26,14.43	0.00	0.00	26,14.43
क 3	**प्रशासनिक सेवाएँ**				
	लोक सेवा आयोग	6.29	0.00	0.00	6.29
	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2,62.48	0.00	0.00	2,62.48
	जिला प्रशासन	2,05.84	0.00	0.00	2,05.84
	खजाना एवं लेखा प्रशासन	14.91	0.00	0.00	14.91
	पुलिस	25,09.83	72.70	0.00	25,82.53
	जेल	93.08	0.00	0.00	93.08
	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	1.40	0.00	0.00	1.40
	लोक निर्माण कार्य	85.67	92.03	0.00	1,77.70
	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	93.66	3.36	0.00	97.02

4. व्यय का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
				(करोड़ रुपयों में)	
	क-कार्यात्मक व्यय-क्रमशः				
क	**सामान्य सेवाएँ-क्रमांत**				
क 4	**पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ**				
	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृति लाभ	34,84.31	0.00	0.00	34,84.31
	जोड़ सामान्य सेवाएँ	**99,59.36**	**1,68.09**	**0.00**	**1,01,27.45**
ख	**सामाजिक सेवाएँ**				
ख 1	**शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति**				
	सामान्य शिक्षा	37,35.90	1,45.21	0.00	38,81.11
	तकनीकी शिक्षा	1,37.09	0.00	0.00	1,37.09
	खेलकुद एवं युवा सेवाएँ	21.95	0.00	0.00	21.95
	कला एवं संस्कृति	27.21	0.00	0.00	27.21
ख 2	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**				
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	8,98.70	1,66.18	0.00	10,64.88
	परिवार कल्याण	78.39	0.00	0.00	78.39
ख 3	**जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास**				
	जल पूर्ति एवं सफाई	2,94.57	3,21.02	0.00	6,15.59
	आवास	18.22	20.91	6.00	45.13
	शहरी विकास	3,97.61	0.14	14.44	4,12.19
ख 4	**सूचना एवं प्रसारण**				
	सूचना तथा प्रचार	53.13	0.00	0.00	53.13
ख 5	**अनुसूचित जातियों/जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,24.84	1,68.03	0.00	7,92.87
ख 6	**श्रमिक एवं श्रम कल्याण**				
	श्रम तथा रोजगार	1,27.75	0.00	0.00	1,27.75
ख 7	**समाज कल्याण तथा पोषण**				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	10,94.06	1,02.63	0.00	11,96.69
	पोषण	3,92.81	0.00	0.00	3,92.81
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	2,92.55	0.00	0.00	2,92.55

4. व्यय का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
				(करोड़ रुपयों में)	
	क-कार्यात्मक व्यय-क्रमशः				
ख	**सामाजिक सेवाएँ-क्रमांत**				
ख 8	**अन्य**				
	अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.57	0.00	0.00	0.57
	सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ	19.99	0.00	0.00	19.99
	जोड़ सामाजिक सेवाएँ	**82,15.34**	**9,24.12**	**20.44**	**91,59.90**
ग	**आर्थिक सेवाएँ**				
ग 1	**कृषि एवं संबंद्ध कार्यकलाप**				
	फसल कृषि कर्म	2,75.14	1.50	0.00	2,76.64
	मृदा एवं जल संरक्षण	49.54	0.00	0.00	49.54
	पशुपालन	1,23.44	0.00	0.00	1,23.44
	डेरी विकास	68.81	10.00	0.00	78.81
	मछलीपालन	35.73	3.76	0.00	39.49
	वानिकी एवं वन्य जीवन	2,68.48	0.00	0.00	2,68.48
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	82.05	0.00	0.00	82.05
	सहकारिता	69.95	0.00	0.00	69.95
	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.85	0.00	10.65	12.50
ग 2	**ग्राम विकास**				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	51.86	0.00	0.00	51.86
	ग्राम रोजगार	2,49.74	0.00	0.00	2,49.74
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	11,27.97	11,48.93	2.71	22,79.61
ग 3	**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**				
	मुख्य सिंचाई	1,21.71	1,72.23	0.00	2,93.94
	मध्यम सिंचाई	1,18.66	1,46.71	0.00	2,65.37
	लघु सिंचाई	63.03	1,26.05	0.00	1,89.08
	कमान क्षेत्र विकास	0.69	0.00	0.00	0.69
	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	0.00	9.01	0.00	9.01
ग 4	**ऊर्जा**				
	बिजली	15,08.91	0.00	1,75.35	16,84.26
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	11.87	0.00	0.00	11.87
ग 5	**उद्योग तथा खनिज**				
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1,10.09	0.00	0.00	1,10.09
	उद्योग	58.48	0.00	0.00	58.48

4. व्यय का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
				(करोड़ रुपयों में)	
	क-कार्यात्मक व्यय-क्रमांत				
ग	**आर्थिक सेवाएँ-क्रमांत**				
	अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	17.52	0.00	0.00	17.52
	उद्योग तथा खनिज पर अन्य परिव्यय	0.00	2.00	0.00	2.00
ग 6	**परिवहन**				
	नगर विमानन	0.37	1,10.00	0.00	1,10.37
	सड़क एवं सेतु	2,35.87	18,77.26	0.00	21,13.13
	सड़क परिवहन	15.40	7.39	0.00	22.79
	अन्य परिवहन सेवाएँ				
ग 7	**सामान्य आर्थिक सेवाएँ**				
	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	32.71	0.00	0.00	32.71
	पर्यटन	7.23	15.45	0.00	22.68
	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	14.39	0.00	0.00	14.39
	सिविल पूर्ति	5,71.38	0.00	0.00	5,71.38
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	4.32	0.00	0.00	4.32
	कुल आर्थिक सेवाएँ	**52,97.19**	**36,30.29**	**1,88.71**	**91,16.19**
घ	**ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	0.00
ड.	**सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज**				
	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	0.00	0.00	12.76	12.76
च	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	0.00	18,58.17	0.00	18,58.17
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0.00	1,38.75	0.00	1,38.75
ठ	**अंर्तराज्यीय परिशोधन**				
	अंर्तराज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	50.00	50.00
	कुल ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान	**0.00**	**19,96.92**	**62.76**	**20,59.68**
	जोड़ समेकित निधि व्यय	**2,34,71.89**	**67,19.42**	**2,71.91**	**3,04,63.22**

4. व्यय का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

व्यय का उद्देश्य	2011-12			2012-13			2013-14		
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख. व्यय की प्रकृति									*(करोड़ रुपयों में)*
1. वेतन	63,05.58	46.53	**63,52.11**	64,46.02	43.56	**64,89.58**	69,34.16	22.65	**69,56.81**
2. सहायक अनुदान (गैर-वेतन)(क)	26,12.87	0.00	**26,12.87**	39,77.26	1,85.98	**41,63.24**	42,73.80	0.64	**42,74.44**
3. मुख्य कार्य (राज्य योजना)	2,50.11	20,59.69	**23,09.80**	49.47	27,58.53	**28,08.00**	53.13	38,42.95	**38,96.08**
4. पेंशन प्रभार (#)	22,96.69	0.00	**22,96.69**	30,31.19	0.00	**30,31.19**	35,34.31	0.00	**35,34.31**
5. ब्याज अदायगियां	22,67.08	0.00	**22,67.08**	23,91.25	0.00	**23,91.25**	26,14.43	0.00	**26,14.43**
6. उधार का पुनर्भुगतान	0.00	16,39.02	**16,39.02**	0.00	21,83.06	**21,83.06**	0.00	19,96.92	**19,96.92**
7. सहायक अनुदान (वेतन)	16,66.55	0.00	**16,66.55**	13,46.17	13.66	**13,59.83**	12,07.44	5.71	**12,13.15**
8. आपूर्ति एवं सामग्रियाँ	12,44.16	38.43	**12,82.59**	11,42.14	67.62	**12,09.76**	10,62.31	21.88	**10,84.19**
9. पूंजीगत परिसम्पत्ति के लिए सहायक अनुदान	2,38.00	0.00	**2,38.00**	11,74.38	2,52.87	**14,27.25**	6,91.94	2,42.32	**9,34.26**
10. अन्य व्यय	7,53.46	4,45.61	**11,99.07**	1,96.04	6,89.20	**8,85.24**	2,63.69	5,63.05	**8,26.74**
11. अनुरक्षण एवं मरम्मति	2,76.80	21.41	**2,98.21**	3,57.50	51.33	**4,08.83**	2,63.36	61.24	**3,24.60**
12. नकद राहत	1,45.42	0.00	**1,45.42**	2,33.44	12.31	**2,45.75**	2,83.83	11.25	**2,95.08**
13. मानदेय	0.00	0.00	**0.00**	2,91.31	0.00	**2,91.31**	2,84.54	0.00	**2,84.54**
14. लघु कार्य	1,91.39	73.51	**2,64.90**	1,82.85	1,29.73	**3,12.58**	1,43.44	1,15.08	**2,58.52**
15. छात्रवृति/वृति	2,26.40	21.70	**2,48.10**	2,24.11	30.57	**2,54.68**	2,43.72	12.63	**2,56.35**
16. बिजली व्यय	45.88	0.00	**45.88**	1,51.20	0.02	**1,51.22**	2,46.27	0.03	**2,46.30**
17. ऋण एवं अग्रिम	0.00	2,17.10	**2,17.10**	0.00	6,00.81	**6,00.81**	0.00	2,21.91	**2,21.91**
18. केन्द्रांश	2,35.04	1,03.96	**3,39.00**	3,44.98	0.00	**3,44.98**	2,19.90	0.00	**2,19.90**
19. सबसिडी	2,86.38	0.00	**2,86.38**	2,69.62	0.00	**2,69.62**	1,87.40	0.00	**1,87.40**
20. अंशदान	75.27	46.81	**1,22.08**	32.79	8.50	**41.29**	1,48.36	12.50	**1,60.86**
21. कार्यालय व्यय	82,06	0.00	**82.06**	74.06	0.41	**74.47**	89.47	0.36	**89.83**
22. मजदुरी	63.87	0.00	**63.87**	91.32	0.00	**91.32**	84.53	0.00	**84.53**
23. यात्रा व्यय	74.53	0.00	**74.53**	83.91	0.33	**84.24**	83.93	0.29	**84.22**
24. मोटरगाड़ी	46.22	0.00	**46.22**	53.40	0.31	**53.71**	74.48	0.40	**74.88**
25. राज्य अंशदान (ख)	8,96.74	3,03.87	**12,00.61**	3,96.69	31.90	**4,28.59**	73.29	0.00	**73.29**
26. मशीन एवं उपस्कर	49.43	0.00	**49.43**	34.42	33.97	**68.39**	41.10	26.93	**68.03**
27. व्यवसायिक सेवाएं	2,09.40	0.00	**2,09.40**	61.14	0.58	**61.72**	66.20	0.70	**66.90**
28. संविदा भत्ता	48.85	0.00	**48.85**	1,12.50	0.10	**1,12.60**	56.42	0.14	**56.56**
29. राशन की लागत	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	35.16	0.00	**35.16**
30. विज्ञापन एवं प्रचार	43.06	0.00	**43.06**	28.10	0.00	**28.10**	31.44	0.00	**31.44**
31. वर्दी	23.18	0.00	**23.18**	26.41	0.05	**26.46**	28.10	0.05	**28.15**
32. केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्य हिस्सा	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	25.11	0.00	**25.11**

(क) ''सर्व शिक्षा अभियान'', ''मध्याह्न भोजन'', ''इंदिरा आवास योजना'' एवं ''मनरेगा'' में व्यय सहायक अनुदान में शामिल नहीं है चुंकि व्यय को वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सहायक अनुदान के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ख) राज्य अंशदान में ''मध्याह्न भोजन कार्यक्रम'' पर हुआ व्यय शामिल है।

(#) वर्ष 2013-14 के दौरान मुख्य शीर्ष 7810 अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अन्तर्गत बिहार को पेंशन प्रभार के रूप में ₹ 50.00 करोड़ शामिल है।

4. व्यय का विवरण - क्रमांत

(समेकित निधि)

व्यय का उद्देश्य	2011-12			2012-13			2013-14		
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ख. व्यय की प्रकृति						*(करोड़ रुपयों में)*
33. मेडिकल स्टोर आपूर्ति	19.85	0.00	**19.85**	21.22	11.33	**32.55**	25.07	0.00	**25.07**
34. अनुशंसित राशि	2,66.80	0.00	**2,66.80**	3,49.67	0.00	**3,49.67**	22.98	0.00	**22.98**
35. एक मुश्त	2,44.25	0.00	**2,44.25**	76.38	6.60	**82.98**	4.05	18.17	**22.22**
36. सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ (आई.टी.सी.)	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	20.35	0.62	**20.97**
37. प्रशिक्षण व्यय	0.00	0.00	**0.00**	17.89	0.23	**18.12**	19.93	0.76	**20.69**
38. अन्य प्रशासनिक व्यय	23.78	0.00	**23.78**	16.60	0.00	**16.60**	15.65	0.19	**15.84**
39. प्रशिक्षण भत्ता	12.74	0.00	**12.74**	15.36	0.43	**15.79**	9.22	1.69	**10.91**
40. सेमिनार, प्रदर्शनी एवं प्रचार	0.00	0.00	**0.00**	13.69	0.10	**13.79**	10.49	0.51	**11.00**
41. किराया, दरे एवं कर/कर शुल्क का हिस्सा (ग)	0.00	0.00	**0.00**	11.39	0.04	**11.43**	12.19	0.23	**12.42**
42. नई मोटर गाड़ी का क्रय	13.48	0.00	**13.48**	13.21	2.90	**16.11**	0.00	0.00	**0.00**
43. निवेश	0.00	17.50	**17.50**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
44. अन्य (प्रत्येक वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत रू. 10 करोड़ से कम व्यय शामिल है)	25.18	70.80	**95.98**	60.79	11.97	**72.76**	7.99	10.62	**18.61**
सकल व्यय	**2,12,60.50**	**51,05.94**	**2,63,66.44**	**2,33,99.87**	**71,29.00**	**3,05,28.87**	**2,34,93.18**	**71,92.42**	**3,06,85.60**
घटाएं-वापसियां	2,68.91	15.06	2,83.97	0.00	26.70	**26.70**	21.29	2,01.09	**2,22.38**
निवल व्यय	**2,09,91.59**	**50,90.88**	**2,60,82.47**	**2,33,99.87**	**71,02.30**	**3,05,02.17**	**2,34,71.89**	**69,91.33**	**3,04,63.22**

लेखे पर टिप्पणियाँ

1. लेखाकरण नीतियों के अभिप्राय का सारांशः

(i) विद्यमानता और लेखाकरण अवधिः ये लेखे झारखण्ड सरकार के 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक के लेन-देनों को प्रस्तुत करता है तथा 26 जिला कोषागारों, 06 उप कोषागारों, 252 लोक निर्माण-कार्य (नदी घाटी परियोजनाओं सहित), 113 वन प्रमंडलों द्वारा प्रेषित आरंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक के एड्भाइसों के आधार पर तैयार किए गए हैं। मासिक लेखे के प्रेषण में विलम्ब नगण्य रहा तथा वर्ष के अंत तक कोई भी लेखा असम्मिलित नहीं रहा।

(ii) लेखाकरण का आधार : कुछ खाता समायोजनों **(परिशिष्ट I-क)** को छोड़कर ये लेखे लेखा अवधि के दौरान हुए वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करता है। भौतिक परिसम्पत्तियों और वित्तीय सम्पत्तियों यथा निवेश इत्यादि को ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया गया है, जैसे कि अधिग्रहण/खरीदे जाने के वर्ष के मूल्य पर। भौतिक परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन या परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसम्पत्तियों के जीवनकाल के अंत में हुई हानियों को भी व्ययित या मान्यता नहीं दी गई है।

लेखा अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृति हितलाभों को लेखे में दर्शाया गया है, परंतु सरकार के भविष्य में होने वाले पेंशन दायित्वों, जैसे कि अपने कर्मियों के विगत समय तथा वर्त्तमान सेवा के लिए सेवानिवृति हितलाभ के भुगतान के दायित्व को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

(iii) मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं : झारखण्ड सरकार के लेखे भारतीय रूपया (₹) में संधारित किया जाता है।

(iv) लेखे का फार्म : संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को वैसे फार्म में रखा जाता है, जिसे राष्ट्रपति एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सलाह पर निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द 'फार्म' का व्यापक अर्थ, लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत फार्म का निर्धारण ही नहीं, बल्कि लेन-देनों के वर्गीकरण के तहत उचित शीर्षो के चुनाव के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है।

(v) राजस्व तथा पूंजी के बीच वर्गीकरण : (क) राजस्व व्यय, आवर्ती प्रकृति तथा राजस्व प्राप्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यय को माना जाता है। पूंजीगत व्यय निर्धारण वैसे व्यय से किया जाता है, जो कि एक द्रव्य के बढ़ते हुए ठोस परिसम्पत्तियों तथा स्थायी प्रकृति का होता है अथवा अनुक्रमित स्थायी दायित्व का होता है। फिर भी, वर्ष के दौरान सरकार द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से ₹ 53.13 करोड़ की राशि उपलब्ध एवं 'मुख्य कार्य' के रूप में राजस्व अनुभाग के अंतर्गत व्ययित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट I-ख** में दर्शाया गया है। फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य इस सीमा तक कम बताया गया हैं।

(ख) भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (भा॰स॰ले॰मा॰)-2 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में हुए व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान में ₹ 248.67 करोड़ की राशि को पूंजीगत मुख्य शीर्षो के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया (**परिशिष्ट I-ग**)। फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य इस सीमा तक अधिक बताया गया है। मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था, परंतु सुधार नहीं किया गया।

2. लेखे की गुणवता

(i) लघु शीर्ष ''800'' - 'अन्य प्राप्तियाँ तथा 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज आँकड़े

लेखे के 16 राजस्व, पूंजीगत तथा ऋण मुख्य शीर्षो के व्यय पक्ष पर ₹ 576.13 करोड़, जो कि कुल व्यय (राजस्व, पूंजी एवं ऋण) का 8.63 *प्रतिशत* है, को संबंधित मुख्य शीर्षो के तहत लघु शीर्ष 800-'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया है। ₹ 108.71 करोड़ (वास्तविक राशि का 62 *प्रतिशत*), जो कि मुख्य शीर्ष 6801 से संबंधित

है, जिसे लघु शीर्ष '205' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता था, को '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया। इसी तरह, लेखे के 45 राजस्व मुख्य शीर्षों के प्राप्ति पक्ष पर ₹ 985.11 करोड़, जो कि कुल राजस्व प्राप्ति का 8.08 *प्रतिशत* है, को संबंधित मुख्य शीर्षों के तहत लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज किया गया है। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये लेखे को अपारदर्शी बनाते हैं। दृष्टांत के रूप में वैसे यथेष्ट आनुपातिक (50 *प्रतिशत* या उससे अधिक) प्राप्तियों को लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, को **परिशिष्ट I-घ** में सूचीबद्ध किया गया है।

(ii) प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान

झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) के अंतर्गत, सभी नियंत्री पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महालेखाकार द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्ति एवं व्यय का मिलान करें।

₹ 12,516.04 करोड़ का व्यय, जो कि कुल समेकित निधि व्यय का 41.09 *प्रतिशत* है तथा ₹ 18,070.99 करोड़ की प्राप्ति, जो कि कुल समेकित निधि प्राप्तियों का 58.55 *प्रतिशत* है, क्रमशः नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा 15 जून 2014 तक व्यय के लिये 32.78 *प्रतिशत* (180 में 59) तथा प्राप्तियाँ के लिये 28 *प्रतिशत* (100 में 28) ही मिलान किया गया।

(iii) रोकड़ शेष

महालेखाकार द्वारा संपादित एवं 31 मार्च 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया कि ₹ 69.95 करोड़ (नामे) के अन्तर में से ₹ 68.34 करोड़ (नामे) का मिलान कर लिया गया है तथा अक्टूबर 1987 के पूर्व से संबंधित शेष ₹ 1.61 करोड़ (नामे) का मिलान नहीं किया गया है, जिसके समाशोधन / अपलेखन के लिए राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच चर्चा जारी है।

(iv) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए॰सी॰) विपत्र

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से अदृश्य व्यय हेतु सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत है एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब व्हाउचरों सहित आकस्मिक विपत्र की निकासी के एक माह के भीतर महालेखाकार कार्यालय में पहुँच जाय। अभी तक वर्ष 2000-01 से 2013-14 (30 जून 2014 की स्थिति) तक ₹ 5162 करोड़ के कुल 17778 डी॰सी॰ विपत्र महालेखाकार कार्यालय को अप्राप्त है। विलम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रेषण, आकस्मिक विपत्रों के द्वारा किए गए व्यय को अपारदर्शी बनाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिए गए है :-

सारणी-1 : लम्बित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी		विस्तृत आकस्मिक विपत्र की प्रस्तुति		बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12 तक	53548	13543	36225	9372	17323	4171
2012-13	547	925	498	494	49	431
2013-14	468	667	62	107	406	560
योग	**54563**	**15135**	**36785**	**9973**	**17778**	**5162**

वर्ष 2013-14 में आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी की गई ₹ 667 करोड़ में से केवल मार्च 2014 में ₹ 395.00 करोड़ (59.22 *प्रतिशत*) की निकासी की गई, जिसमें से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 119.00 करोड़ (17.80 *प्रतिशत*) की निकासी आकस्मिक विपत्रों द्वारा की गई। मार्च माह में आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध किये गये महत्वपूर्ण व्यय दर्शाता है कि यह निकासी केवल बजट प्रावधान को खर्च करने के लिए ही की गई तथा यह बजट पर नियंत्रण की न्युनता को भी उद्घाटित करता है।

(v) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरूद्ध बकाया प्रमाण-पत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 429 के तहत राज्य सरकार के स्वीकृत्यादेशों के विरूद्ध महालेखाकार (ले. एवं ह.) के द्वारा निर्गत प्राधिकारों के आधार पर सहायक अनुदानों का संवितरण किया जाता है। राशि संवितरण के एक वर्ष के भीतर महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰) कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना है। निर्धारित अवधि के उपरांत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र, निहित उद्देश्यों के लिए अनुदान की उपयोगिता पर आश्वासन की कमी को दर्शाता है। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति नीचे अंकित है :-

सारणी-2 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

वर्ष (*)	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (करोड़ रूपयों में)
2011-12 तक	2770	1919.02
2012-13	682	1162.17
2013-14	1812	3462.63
योग	**5264**	**6543.82**

(*) उपर वर्णित वर्ष 'बकाया वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक निकासी के 12 माह के पश्चात्। वर्ष 2013-14 के दौरान संवितरित अनुदानों से संबंधित ₹ 6617.59 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2014-15 के दौरान ही देय होंगे।

(vi) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (राज्यांश) एवं राज्य योजनाओं का कार्यान्वयन :

राज्य सरकार द्वारा राज्य/जिला स्तरीय स्वशासी निकायों एवं प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (राज्यांश) एवं राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधि उपलब्ध करायी जाती है। चूंकि सामान्यत: क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा उसी वित्तिय वर्ष में पूर्णत: व्यय नही की जाती है, जिसके फलस्वरूप वर्ष के अन्त में क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों के बैंक खातों में अव्ययित शेष पड़े रह जाते हैं। क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों के बैंक खाते में अव्ययित कुल शेषों, जिसे सरकारी लेखे के बाहर रखा जाता है, को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। अत: लेखे में प्रतिबिर्मबित सरकार के व्यय को उस सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता है।

3. अन्य मद

(i) सेवानिवृति हितलाभों पर दायित्व

वर्ष के दौरान राज्य सरकार का 30.11.2004 को या उससे पहले के बहाल कर्मियों को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ में ₹ 3484.31 करोड़ व्यय हुआ (कुल राजस्व व्यय का 14.84 *प्रतिशत*)। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा 01.12.2004 से प्रभावित भर्तियों को नई पेंशन योजना के अनुसार मान्यता दी गई, जिसे अंशदायी पेंशन योजना के रूप में परिभाषित किया गया। नई योजना के अनुसार, कर्मी अपने मासिक वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करेंगे, जिसमें राज्य सरकार का समान योगदान होगा तथा सम्पूर्ण राशि को नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन॰एस॰डी॰एल॰)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से पदधारी निधि प्रबंधक को स्थानांतरित किया जाएगा। कर्मियों को दिये जाने वाले वास्तविक राशि तथा राज्य सरकार द्वारा इसकी समराशि का निर्धारण नहीं किया गया है। जबकि राज्य सरकार ने वर्ष के लिए कर्मियों का अंशदान (₹ 133.21 करोड़) को लोक लेखा एवं उसके बाद एन॰एस॰डी॰

एल०/ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित करने के लिए सही लेखाकरण पद्दति अपनाया, वहीं नियोक्ता अंशदान (₹ 1,33.44 करोड़) के लोक लेखे में स्थानांतरित न कर सीधे एन०एस०डी०एल०/ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित कर दिया गया। चूँकि राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के अन्तर्गत लेन-देनों के विवरणों को लोक लेखा में शेषों से भिन्न प्रत्येक वर्ष सरकारी लेखों को बन्द किये जाते हैं। इसमें जो प्रक्रिया अपनायी गई उससे पूर्व वर्षों में किये गये सरकारी अंशदान के विवरणों का मूल्यांकन करना कठिन है। 31 मार्च 2014 को लोक लेखा में ₹ 18.56 करोड़ बकाया शेष के रूप में है जिन्हें एन०एस०डी०एल०/ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित करना लंबित है। नई पेंशन योजना से संबंधित शेषों को लोक लेखा के मुख्यशीर्ष 8342-अन्य जमा, 117-सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, जो कि 'ब्याज सहित जमा' श्रेणी के अन्तर्गत आते है, के अधीन् पुस्तांकित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा उन शेषों पर ब्याज का भुगतान अपेक्षित है जो कि नहीं किया गया। फलतः राज्य सकार का राजस्व अधिशेष अधिक बताया गया था। इस योजना के अन्तर्गत उपार्जित ब्याज सहित असंग्रहित, असंगत एवं अस्थानांतरित राशियाँ बकाया दायित्वों को इंगित करती है।

(ii) पेंशन दायित्वों एवं अन्य सेवानिवृति हितलाभों का आबंटन

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आठवें अनुसूची की धारा 53 के शर्त्तो के अनुसार 15 नवम्बर 2000 (बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बँटवारे की तिथि) से 31 मार्च 2001 तक एवं प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों का आंबटन कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के बीच किया जाना चाहिए। ₹ 25,84.09 करोड़ की राशि, जो कि झारखण्ड सरकार द्वारा बिहार सरकार को 31 मार्च 2011 तक भुगतान किया जाना था, में से मात्र ₹ 5,48.17 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति बिहार राज्य को झारखण्ड सरकार द्वारा की गई। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए ₹ 7,71.37 करोड़ का दावा किया गया तथा 2013-14 के लिए किए गए अपने आंकलन को अभी तक झारखण्ड सरकार को सूचित नहीं किया है।

(iii) राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का आबंटन :

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में यह प्रावधानित है कि उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के शेषों का आंवटन 15 नवम्बर 2000 (बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के विभाजन की तिथि) से किस प्रकार किया जाय। पूंजी अनुभाग (मुख्य शीर्ष '4059' से '5475'), कर्ज एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष '6202' से '7615') के अन्तर्गत 14 नवम्बर 2000 तक का प्रगामी व्यय तथा रिजर्व बैंक के साथ जमा के अतिरिक्त भाग - III लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों को 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि का बिहार सरकार के वित्त लेखे में आरम्भिक शेषों के रूप में स्थानान्तरित किया गया था। 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे में इन शीर्षों के लिये आरम्भिक शेषों को शून्य के रूप में लिया गया था।

पेंशन दायित्वों के आवंटन के साथ-साथ कुछ परिषदों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि के स्वामित्व के लिये झारखण्ड सरकार ने वैधिक आश्रय लिया है।

वित्त लेखे में समायोजन के लिये लेखाकरण से पूर्व आवंटन हेतु विस्तृत परिशिष्टों को संबंधित राज्य सरकारों के पास सहमति हेतु भेजा जा चुका है। तथा इन शेषों की समाविष्टी सहमति मिलने के पश्चात् ही किया जायेगा।

सार में, लोक ऋण एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित रोकड़ शेष के अन्तर्गत शेषों का आवंटन किया जा चुका है, जबकि पूंजी अनुभाग (₹ 1,19,35.23 करोड़), कर्ज एवं अग्रिम (₹ 65,83.36 करोड़) एवं लोक लेखा (₹ 74,43.90 करोड़) के अन्तर्गत शेषों का आवंटन नहीं किया गया है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-xiv** में दिया गया है।

(iv) गुप्त सेवा निधि के लिए पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखापरीक्षा के प्रमाण-पत्र का अप्राप्त रहना

झारखंड वित्तीय नियमावली के परिशिष्ट 5 का अनुबंध 4 के अनुसार, गुप्त सेवा निधि से हुए व्यय का, सरकार के द्वारा नियुक्त नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा, एक पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखापरीक्षा का संचालन किया जाना है तथा इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०) को निर्धारित प्रपत्र में व्यय से संबंधित वर्ष से

अगले वर्ष के 31 अगस्त तक प्रेषित किया जाना चाहिए। नियंत्री पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित प्रत्येक वर्षों से संबंधित प्रमाण-पत्र जिन्हें महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰) को प्रेषित नहीं किया गया है :-

सारणी-3 : गुप्त सेवा निधि का बकाया प्रमाण-पत्र

वर्ष	व्यय एवं संवितरण पदाधिकारी	राशि *(करोड़ रूपयों में)*	प्रमाण-पत्र उपस्थापन की नियत तिथि
2005-06	आरक्षी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक	8.30	31 अगस्त 2006 को या उससे पहले
2007-08	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	4.50	31 अगस्त 2008 को या उससे पहले
2008-09	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2009 को या उससे पहले
2012-13	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2013 को या उससे पहले

(v) कर्ज तथा अग्रिम

कर्ज तथा अग्रिम हेतु भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (भा॰स॰ले॰मा॰) 3 के अधीन् जैसा कि अपेक्षित है वित्त लेखे 2013-14 के विवरण सं॰16 में उपलब्ध सूचना अपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसे सम्पुष्ट नहीं किया गया है। कर्ज तथा अग्रिम से संबंधित अतिदेय मूलधन तथा ब्याज का विस्तृत जानकारी जिसका लेखा राज्य सरकार द्वारा संधारित किया जाता हैं, प्रतीक्षित है क्योंकि 31 मार्च 2014 तक के शेषों पर राज्य सरकार से सम्पुष्टि अप्राप्त है। वैसे ऋणों, जिसका विस्तृत लेखा महालेखाकार द्वारा संधारित किया जाता है उन मामलों में भी राज्य सरकार से व्यक्तिगत कर्जधारकों के शेषों की सम्पुष्टि प्रतीक्षित है। इसे **परिशिष्ट-VIII के अनुबंध-क** में दर्शाया गया है।

(vi) आरक्षित निधियाँ एवं जमा

(क) ब्याज दायित्वों का विमुक्त नहीं किया जाना

लोक लेखा के क्रमशः खण्ड (ञ) एवं (ट) के अन्तर्गत ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ तथा ब्याज वाली जमा से संबंधित ब्याज दायित्व वार्षिक दायित्व हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा विमुक्त किया जाना अपेक्षित है। 1 अप्रैल 2013 को वैसे आरक्षित निधियाँ एवं जमा में शेषों के वावजूद आरक्षित निधियों से संबंधित ब्याज दायित्वों के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न है :-

सारणी-4 : आरक्षित निधियाँ एवं जमा पर अनियमित दायित्व

(करोड़ रूपयों में)

खण्ड	उप खण्ड	ब्याज दर	2013-14 का आरंभिक शेष
ञ-आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ (रा॰आ॰मो॰नि॰)	7.5 *प्रतिशत* अर्थोपाय ब्याज दर की औसत	3,16.20
ट-जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा (के॰यो॰यो॰)	8.7 *प्रतिशत* (सामान्य भविष्य निधि के शेषों पर देय ब्याज दर)	13.41

ब्याज का प्रावधान नहीं किये जाने के फलस्वरूप राजस्व अधिशेष ₹ 24.89 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

(ख) समेकित निक्षेप निधि : 12वीं वित्त आयोग ने अनुशंसा किया है कि राज्यों द्वारा सभी ऋणों के परिशोधन हेतु निक्षेप निधि का गठन किया जाना चाहिए तथा इन ऋणों की क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त इन निधियों का किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (भा॰रि॰ब॰) के दिशा-निर्देशों, के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्वों का 0.50 *प्रतिशत* न्यूनतम वार्षिक अंशदान निर्धारित है तथा यह निधि के संचालन के लिए भी उत्तरदायी है। राज्य सरकार के पास ₹34,868.99 करोड़ की राशि लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के रूप में है जिसके लिए ₹174.35 करोड़ (बकाया दायित्वों का 0.50 *प्रतिशत* की दर से) वर्ष 2013-14 के दौरान कमी के लिए विनियोजित अथवा ऋण का परिवर्जन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने फिर भी दायित्वों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि का सृजन नहीं किया। फलत: वर्ष 2013-14 के लिए राज्य का राजस्व अधिशेष ₹174.35 करोड़ की न्यूनतम सीमा से अधिक दर्शाया गया। निधि का गठन एवं उसमें अंशदान नहीं किये जाने के कारण राज्य के सम्पूर्ण दायित्वों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्राक्कलित नहीं किया गया है।

(ग) गारंटी विमोचन निधि : 12 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक गारंटी विमोचन निधि का गठन अपेक्षित है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा निर्गत किये गये गारंटियों से उत्पन्न देयताओं के भुगतान को पूरा करने के लिये किया जायेगा। निधि का संचालन राज्य सरकार के लेखे से बाहर किया जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका प्रचालन किया जाता है। दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा वर्ष के आरम्भ में बकाया गारंटी का 0.5 *प्रतिशत* न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना अपेक्षित है। निधि के आगमों को भारत सरकार के प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है तथा यह राज्य सरकार के अर्थोपाय पेशगियों का हिस्सा नहीं होता है। राज्य सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि का सृजन नहीं किया गया है। फलत: कोई अंशदान (प्राक्कलित ₹0.79 करोड़ जो कि 1 अप्रैल 2013 को ₹ 157.15 करोड़ के बकाया गारंटियों का 0.50 *प्रतिशत* है) नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को ₹ 0.79 करोड़ की न्यूनतम सीमा तक अधिक दर्शाया गया है। निधि का गठन एवं उसमें अंशदान नहीं किये जाने के कारण राज्य के सम्पूर्ण दायित्वों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्राक्कलित नहीं किया गया है।

(घ) राज्य आपदा मोचन निधि : 13 वें वित आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार ने अपने वर्तमान आपदा राहत निधि को पुन: स्थापित करते हुए वर्ष 2010-11 से ''राज्य आपदा मोचन निधि'' का प्रचालन प्रारंभ किया। दिशा-निर्देशों के शर्त्तों के अनुसार, इस निधि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में अंशदान करना है। इसके तहत्, भारत सरकार ने दो किश्तों यथा मई 2013 एवं मार्च 2014 में ₹ 225.26 करोड़ विमुक्त किया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में ₹ 300.35 करोड़ (₹ 225.26 करोड़ केन्द्रांश तथा ₹ 75.09 करोड़ राज्यांश) की राशि इस निधि को स्थानांतरित करना अपेक्षित था। फिर भी, राज्य सरकार ने केवल ₹ 296.66 करोड़ (वर्ष 2012-13 का ₹ 143.02 करोड़ का द्वितीय किस्त, वर्ष 2013-14 का ₹ 150.17 करोड़ का प्रथम किश्त एवं तब आपदा राहत कोष में पड़े ₹ 3.47 करोड़ का अव्ययित शेष) ही स्थानान्तरित किया।

वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर पहले ही किए गए व्यय को ₹ 21.29 करोड़ तक की सीमा के शेष को निधि के विरूद्ध प्रतिपूर्ति की गई (मुख्य शीर्ष 2245-05) एवं राज्य आपदा मोचन निधि में ₹ 591.56 करोड़ शेष रहा। दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि में पड़े हुए शेषों को निधि के प्रबंधन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति (रा॰का॰स॰) द्वारा निवेशित किया जाना अपेक्षित है, जिसे नहीं किया गया। फलत: राजस्व अधिशेष को अधिक एवं राजकोषीय घाटा को इस सीमा तक कम दर्शाया गया।

इसके अलावे ₹ 150.17 करोड़ अहस्तांतरण (केद्रांश एवं राज्यांश दोनों के लिए 2013-14 का द्वितीय किश्त) को उस सीमा तक राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया। पूर्व के वर्षों के अनिवेशित शेषों पर देय ब्याज को प्राक्कलित नहीं किया गया।

(vii) उचंत एवं प्रेषण शेष

वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के निवल शेषों को दर्शाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों के विभिन्न शीर्षों में बकाया 'नामे' एवं बकाया 'जमा' शेषों को पृथक रूप से निकाल कर किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंतर्गत कुछ मुख्य उचंत शीर्षों एवं प्रेषण शीषों के सकल आंकड़ों की स्थिति निम्नलिखित है :-

सारणी-5 : बकाया उचंत एवं प्रेषण शेष

8658-उचंत लेखा						
लघु शीर्ष का नाम	**2011-2012**		**2012-2013**		**2013-14**	
	नामे	**जमा**	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**
101 वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	44.63	43.47	5.66	4.48	10.56	0.00
निवल	नामे 1.16		नामे 1.18		नामे 10.56	
102 उचंत लेखा (सिविल)	85.21	49.53	1.27	0.55	1.86	0.92
निवल	नामे 35.68		नामे 0.72		नामे 0.94	
110 रिजर्व बैंक उचंत (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	50.61	63.60	4.18	0.38	0.00	0.00
निवल	जमा 12.99		नामे 3.80		0.00	
8782-उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन						
102 लोक निर्माण प्रेषण	24411.39	24121.88	29056.00	28628.39	34858.68	34565.45
निवल	नामे 289.51		नामे 427.61		नामे 293.23	
103 वन प्रेषण	1444.49	1470.71	1582.84	1606.76	1701.46	1725.16
निवल	जमा 26.22		जमा 23.92		जमा 23.70	

(viii) अपलेखित केन्द्रीय ऋणों के विरूद्ध किए गए अधिक पुनर्भुगतान का समायोजन

केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अपलेखित केन्द्रीय कर्जों को 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का स्वीकृत्यादेश संख्या - 13/2011-12 दिनांक 29 फरवरी 2012 के भारत सरकार के निर्णय के अनुसार मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय के अलावे) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए अग्रिमों में से 31 मार्च 2010 को बकाया तथा मंत्रालयों के बही-खातों में बकाया चालू शेष को सीमित किया गया। इन अपलेखित ऋणों के विरूद्ध 31 मार्च 2010 के पश्चात् राज्य द्वारा किये गये कर्ज एवं ब्याज का पुनर्भुगतान, यदि कोई हो, को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार से चालू ऋणों के विरूद्ध राज्यों से देय ऋणों के पुनर्भुगतान के विरूद्ध समायोजित किया जाना था।

राज्य सरकार ने मूलधन (₹17.05 करोड़) एवं ब्याज (₹3.19 करोड़) अर्थात् ₹20.24 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान किया जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा समायोजित नहीं किया गया। इसके परिणामरूवरूप प्रतिकूल शेष (निवल नामे) के रूप में मूलधन ₹17.05 करोड़ तथा उस सीमा तक सरकार का लोक ऋण अधिक दर्शाया गया।

(ix) विभिन्न मुख्य योजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रांश एवं उसके सदृश राज्यांश की विमुक्ति

विभिन्न मुख्य योजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रांश के रूप में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार के द्वारा विमुक्त राशि में ₹ 577.84 करोड़ की कमी का अन्तर था। उसके सदृश इन योजनाओं के लिए राज्यांश के

रूप में भी राज्य सरकार द्वारा ₹ 211.77 करोड़ कम की राशि की विमुक्ति हुई। फलस्वरूप, राजस्व अधिशेष ₹ 789.61 करोड़ की सीमा तक अधिक बताया गया है। विस्तृत विवरण, विवरण सं॰ 12 के परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

(x) राज्य में क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों (राज्य बजट के बाहर दिखाये गए निधियों) को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानांतरण :

संघ सरकार द्वारा विभिन्न-योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों (गै॰स॰स॰) को वास्तविक निधियाँ सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागारों द्वारा प्रचालित नहीं होते हैं इसलिए सरकारी लेखे में भी परिलक्षित नहीं होते हैं। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट VII** में दिया गया है तथा इसके आँकड़े महालेखा नियंत्रक के सेन्ट्रल प्लान स्कीम मोनेटरिंग सिस्टम (सी॰पी॰एस॰एम॰एस॰) पोर्टल से लिया गया है।

(xi) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ॰आर॰बी॰एम॰) अधिनियम, 2007 में प्रकटीकरण की आवश्यकता :

झारखण्ड राजकोषीय उतरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के साथ पठित झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2010 के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों, 13 वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिसीमाओं तथा वर्ष 2013-14 के लेखे के अनुसार उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :-

सारणी-6 : एफ॰आर॰बी॰एम॰ अधिनियम के अधीन लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्रम सं॰	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1.	वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे में शून्य तक की कमी करना	विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार राजस्व अधिशेष की उपलब्धि हासिल की। वर्ष 2013-14 में राजस्व अधिशेष ₹ 2664.91 करोड़ रहा।
2.	वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स॰रा॰घ॰उ॰)* में 3 प्रतिशत तक की कमी करना	वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा-स॰रा॰घ॰उ॰* का अनुपात 2.39 प्रतिशत था।

* स्त्रोत : वर्ष 2013-14 के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार 1 अगस्त 2014 को स॰घ॰रा॰उ॰ का आकड़ा ₹1727.73 करोड़ (झारखण्ड सरकार का आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय) था।

(xii) वचनबद्ध देयताएं :

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणों के साथ बचनवद्ध देयताओं का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट XIII** में सम्मिलित है। फलतः राज्य के बचनवद्ध देयताओं पर परिशिष्ट अपूर्ण है।

(xiii) त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन का राजस्व अधिशेष/राजकोषीय घाटा पर प्रभाव :

त्रुटिपूर्ण बजटीकरण तथा राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन के फलस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष/राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (विस्तृत विवरण पूर्व के अनुच्छेदों में दिया गया है)।

सारणी-7 : राजस्व अधिशेष/राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(करोड़ रुपयों में)

अनुच्छेद सं॰	मद	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिकथन	न्यूनकथन	अधिकथन	न्यूनकथन
1(v)(क)	पूंजी के स्थान पर राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण-कार्य		53.13		
1(v)(ख)	राजस्व के स्थान पर पूंजी अनुभाग के अन्तर्गत के अन्तर्गत पुस्तांकित सहायक अनुदान	2,48.67			
3(vi)(क)	ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ एवं जमा के अन्तर्गत ब्याज जमा नहीं किया जाना	24.89			24.89
3(vi)(ख)	समेकित निधि में अंशदान नहीं किया जाना	1,74.35			1,74.35
3(vi)(ग)	गारंटी विमोचन निधि में अंशदान नहीं किया जाना	0.79			0.79
3(vi)(घ)	राज्य आपदा मोचन निधि में द्वितीय किश्त का स्थानान्तरण नहीं किया जाना	1,50.17			
3(ix)	केन्द्रीय योजनाओं, जिसके लिये केन्द्रांश प्राप्त किया गया है, पर व्यय नहीं किया जाना	7,89.61			7,89.61
	योग (निवल) अधिकथन/न्यूनकथन	**13,35.35**		**9,89.64**	

परिशिष्ट I -क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

क. महालेखाकार के द्वारा किए गए आवधिक समायोजन						
क्रम सं॰	**खाता समायोजन**	**लेखे का शीर्ष**				**राशि**
			से		को	*(करोड़ रूपयों में)*
1.	राज्य आपदा दायित्व निधि में केन्द्रांश तथा राज्यांश का स्थानांतरण	2245	प्राकृतिक विपति के के कारण राहत	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	2,93.18
2.	प्राकृतिक विपति के कारण सहायता मद में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	2245	प्राकृतिक विपति के कारण राहत	21.29
3.	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049	ब्याज अदायगियाँ	8009	राज्य भविष्य निधियां	2,35.95

परिशिष्ट I -क -क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं.	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
			से		को	*(करोड़ रूपयों में)*
1.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	5054	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	1,49.34
2.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	1,38.47
3.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2801	बिजली	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	1,33.78
4.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2851	उद्योग	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	3.86
5.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2203	तकनीकी शिक्षा	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	9.36
6.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	12.16
7.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2053	जिला प्रशासन	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	9.60
8.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	13.84

परिशिष्ट I -क -क्रमांत

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं॰	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
			से		को	*(करोड़ रूपयों में)*
9.	जिला परिषद के वैयक्तिक खाता लेखा में स्थानांतरित	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों की जमा-101 जिला निधियाँ	1,14.67
10.	पंचायत निकायों के वैयक्तिक खाता लेखा में स्थानांतरित	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों की जमा-109 पंचायत निकाय निधियाँ	99.67
11.	नगर पालिकाओं/नगर निगमों के वैयक्तिक खाता लेखा में स्थानांतरित	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों की जमा-109 नगर पालिका संबंधी निधियाँ	3,27.29
12.	नगर पालिकाओं/नगर निगमों के वैयक्तिक खाता लेखा में स्थानांतरित	6217	शहरी विकास के लिए कर्ज	8448	स्थानीय निधियों की जमा-102 नगर पालिका संबंधी निधियाँ	14.44
13.	झारखण्ड संचरण विकास निगम के वैयक्तिक खाता लेखा में स्थानांतरित	6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	8448	स्थानीय निधियों की जमा-107 राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियाँ	1,75.34
14.	झारखण्ड संचरण विकास निगम के वैयक्तिक खाता लेखा में स्थानांतरित	2801	बिजली	8448	स्थानीय निधियों की जमा-107 राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियाँ	15,06.10
15.	शिक्षा निधि के वैयक्तिक खाता लेखा में स्थानांतरण	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8448	स्थानीय निधियों की जमा-111 चिकित्सा तथा धर्मार्थ निधियाँ	1,35.61
16.	झारखण्ड राज्य आवास वैयक्तिक खाता लेखा में स्थानांतरण	6216	आवास के लिए कर्ज	8448	स्थानीय निधियों की जमा-108 राज्य आवास बोर्ड निधियाँ	3.00

परिशिष्ट I-ख

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (v) (क) से संदर्भित)

राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण-कार्य

(करोड़ रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
1	2	3	4	5	6	7
2014	00	114	09	13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत न्यायिक अकादमी के संरचना के निर्माण हेतु	0545 मुख्य निर्माण कार्य	2.97
2029	00	104	07	सैरात के अंतर्गत हाट, बाजार, मेला, तालाब, नदी घाटी का विकास	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.05
2029	00	796	11	राजस्व कचहरी एवं दामिन बंगला के निर्माण/ जीर्णोद्धार के लिए	0545 मुख्य निर्माण कार्य	3.99
2040	00	101	03	भू-अर्जन, निर्माण तथा अवसंरचना का उन्नयन	0545 मुख्य निर्माण कार्य	1.12
2040	00	796	08	पाकुड़ में नए भवन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	2.14
2053	00	796	12	योजना भवन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	10.00
2202	02	109	06	इंदिरा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग में भवन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.89
2210	01	110	18	अन्य औषधालय (यक्ष्मा) संक्रमित रोग केन्द्र, ईटकी का संचालन*	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.07
2220	60	106	03	क्षेत्रीय प्रचार योजना - सूचना भवन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.45
2225	02	796	47	शिक्षा - जाहेरस्थान/हड़गडी/ मसना/सरना स्थल के चहारदीवारी का पुनरुद्धार	0545 मुख्य निर्माण कार्य	12.02
2230	01	001	05	श्रम कार्यालयों के लिए भवन-निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	1.75

परिशिष्ट I-ख-क्रमांत

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (v) से संदर्भित)

राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण कार्य

(करोड़ रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
1	2	3	4	5	6	7
2230	02	101	01	रोजगार सेवाओं का विस्तार	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.06
2235	02	796	24	कार्यकारी महिलाओं के लिये छात्रावास का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.05
2401	00	796	17	विभागीय आधारभूत संरचना का विकास	0545 मुख्य निर्माण कार्य	10.42
2401	00	800	17	विभागीय आधारभूत संरचना का विकास	0545 मुख्य निर्माण कार्य	5.60
3054	03	337	01	सड़क निर्माण-कार्य	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.03
3475	00	106	03	राज्य वैधिक माप का सुदृढ़ीकरण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	1.52
				योग		**53.13**

टिप्पणी : मुख्य निर्माण कार्य के व्यय में भूमि का अधिग्रहण एवं ढाँचों की लागत शामिल है।

परिशिष्ट I-ग

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (v) (ख) से संदर्भित)

पूँजी अनुभाग के अन्तर्गत सहायक अनुदान

मुख्य शीर्ष	नामकरण	विस्तृत एवं वस्तु शीर्ष कोड	नामकरण	राशि (*करोड़ रूपयों में*)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	78	गैर-वेतन हेतु सहायक अनुदान	35.28
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	78	गैर-वेतन हेतु सहायक अनुदान	20.79
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	78	गैर वेतन हेतु सहायक अनुदान	1,86.25
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	79	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए सहायक अनुदान	0.14
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	79	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए सहायक अनुदान	0.50
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	46	वेतन के लिए सहायक अनुदान	5.71
		योग		**2,48.67**

परिशिष्ट I-घ

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 2 (i) से संदर्भित)

''800 अन्य प्राप्तियाँ'' के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों पर "800" के अंतर्गत दर्ज राशि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
				(करोड़ रूपयों में)	
1.	0029	भू-राजस्व	1,46.56	2,29.84	63.77
2.	0217	शहरी विकास	9.09	9.09	1,00.00
3.	0700	मुख्य सिंचाई	47.32	47.32	1,00.00
4.	0701	मध्यम सिंचाई	39.57	39.57	1,00.00
5.	0702	लघु सिंचाई	3.11	3.11	1,00.00
6.	0801	बिजली	6.26	6.26	1,00.00
7.	0250	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.15	4.17	99.52
8.	0404	डेरी विकास	20.75	20.99	98.86
9.	0401	फसल कृषि-कर्म	11.94	12.30	97.07
10.	0059	लोक निर्माण कार्य	2.62	2.70	97.04
11.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	58.21	60.44	96.31
12.	0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	11.53	12.03	95.84
13.	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	4.95	5.17	95.74
14.	0425	सहकारिता	4.10	4.58	89.52
15.	0041	वाहन कर	4,35.03	4,94.79	87.92
16.	0215	जलपूर्ति तथा सफाई	12.02	13.80	87.10
17.	0405	मछली पालन	3.56	4.43	80.36
18.	0051	लोक सेवा आयोग	5.73	7.22	79.36
19.	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	18.65	23.91	78.00
20.	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3.74	5.24	71.37
21.	0403	पुशपालन	2.67	4.02	66.42
22.	1054	सड़क तथा सेतु	46.22	46.22	1,00.00
23.	1452	पर्यटन	2.58	2.58	1,00.00
		कुल	**9,00.36**	**10,59.78**	**84.96**

टिप्पणी : वर्ष के दौरान 45 मुख्य शीर्षों में ''अन्य प्राप्तियाँ'' के अन्तर्गत ₹ 9,85.11 करोड़ दर्ज किया गया है। ''800 अन्य प्राप्तियाँ'' के अन्तर्गत 50 *प्रतिशत* से अधिक कुल प्राप्तियों को इस अनुबंध में दिखाया गया है।